हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

भास्कर न्यूज | टीकमगढ़

हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास सुनाई गई है और अर्थदंड से दंडित किया गया। यह फैसला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एमडी रजक जतारा द्वारा सुनाया गया है। तीनों आरोपी पलेरा थानांतर्गत ग्राम भगवंतनगर के निवासी है।

मीडिया सेल प्रभारी एनपी पटेल ने बताया कि फरियादी दलपत उर्फ रामकुमार ने 8 सितम्बर 2016 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उक्त दिनांक को सुबह करीब 2.00 बजे वह अपने घर पर था, उसी समय आरोपियों से जमीन विवाद को लेकर कहासुनी हुई, इसके बाद शंकरलाल को आरोपियों ने मारपीट कर दी। फिर उसे कुईया में पटक दिया, वह चिल्लाया तो उसकी पत्नी व पिता बचाने आए। ब्रजलाल ने फरियादिया के पिता किशोरी को सिर में गैंती मार दी, जिससे सिर से खून निकल आया एवं ब्रजनंदन ने फरियादी की पत्नी को सब्बल मारी व कुईया में पटक दिया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट से थाना पलेरा में विभिन्न धाराओं में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आहत किशोरीलाल को इलाज के लिए जिला अस्पताल टीकमगढ़ भेजा गया था, जहां उसे झांसी रैफर किया गया तथा झांसी से ग्वालियर रैफर किया गया। 11 नवम्बर 2016 को थाना पलेरा में सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक आहत किशोरीलाल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। मृतक किशोरीलाल के शव का परीक्षण कराया गया तथा जांच के बाद प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध धारा 302 भादंवि का इजाफा कराया गया था। प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एमडी रजक जतारा द्वारा सत्र प्रकरण में संपूर्ण विचारण के बाद पारित अपने निर्णयानुसार हत्या के प्रत्येक आरोपी शंकरलाल अहिरवार, ब्रजनंदन अहिरवार व ब्रजलाल अहिरवार को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदंड, धारा 323 सहपठित धारा 34 (2 काउंट) भादंवि में तीन-तीन माह का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी पीसी जैन, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।